Building Lifestyles Since 1967

25th November, 2026

Scrip Code : ANSALAPI
National Stock Exchange of India Ltd
Exchange Plaza,
Bandra–Kurla Complex,
Bandra (East)
Mumbai – 400 051

Scrip Code: 500013
BSE Limited
25th Floor,
Phiroze Jeejeebhoy Towers
Dalal Street,
Mumbai – 400 001

Reg: (i) Intimation regarding email received from a shareholder regarding cancellation of Extraordinary General Meeting (EGM) of the Company scheduled on the 23rd November, 2026.

(ii) Various Newspaper Publications regarding "Ansal API Promoters' proposed EGM collapses amid quorum shortfall and alleged statutory violations".

Ref: (i) Outcome of the Board Meeting submitted to the stock exchanges on the 18th November, 2026.

(ii) Regulation 30 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended read with SEBI master circular dated the 30th January, 2026.

Dear Sir/Madam,

With reference to the captioned matter, we wish to inform you that the Company has received an email dated the 23rd November, 2026, from Mr. Mahendra Kumar, a shareholder of the Company, containing a representation addressed to SEBI, NSE, BSE and ROC regarding cancellation of the Extraordinary General Meeting (EGM) of the Company scheduled on the 23rd November, 2026, inter-alia, due to lack of quorum, failure to provide e voting facility to shareholders and other non-compliances of the provisions of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended (Listing Regulations) etc. (Enclosed herewith as **Annexure-A**)

It is also submitted that the Company has already intimated the stock exchanges on the 18th November, 2026 reasons (Requisition suffers from various material deficiencies and non-compliances with provisions of the Companies Act, 2013 and Listing Regulations) for not proceeding with the Requisition letter dated the 27th October, 2026, received from certain shareholders belonging to the Promoter and Promoter Group of the Company, seeking to convene an Extra-Ordinary General Meeting (EGM) of the Company on the 23rd November, 2026.

SIDDHARTH GOENKA
Digitally signed by SIDDHARTH GOENKA
Date: 2026.11.25 16:16:39 +05'30'

Ansal Properties & Infrastructure Ltd
115, Ansal Bhawan, 16, Kasturba Gandhi Marg, New Delhi-110 001
Tel.: 23353316 & 23353550
Website: www.ansalapi.com
CIN: L45101DL1967PLC004759
Email: contactansalapi@gmail.com

Building Lifestyles Since 1967

In this regard, the Company has also come across various Newspaper Publications regarding "Ansal API Promoters' proposed EGM collapses amid quorum shortfall and alleged statutory violations". (Enclosed herewith as **Annexure -B**)

This is for your information and record.

Thanking you,

Yours faithfully,

For **Ansal Properties & Infrastructure Ltd**

SIDDHARTH GOENKA
Digitally signed by SIDDHARTH GOENKA
Date: 2026.11.25 16:17:03 +05'30'

Siddharth Goenka
Whole Time Director
(DIN: 11524566)

Vide Orders of Hon'ble Supreme Court and Hon'ble NCLAT dated the 16th April, 2026 and 07th January, 2026, respectively, Corporate Insolvency Resolution Process under Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 of the Company was confined to its Lucknow and Rajasthan Projects. Further, As per NCLT Order dated the 19th November, 2026, Shri Navneet Kumar Gupta shall continue as the Resolution Professional for the projects situated in Rajasthan, whereas Shri Surendra Raj Gang has been appointed as the Resolution Professional for the projects situated in Uttar Pradesh.

Encl: a/a

Ansal Properties & Infrastructure Ltd
115, Ansal Bhawan, 16, Kasturba Gandhi Marg, New Delhi-110 001
Tel.: 23353316 & 23353550
Website: www.ansalapi.com
CIN: L45101DL1967PLC004759
Email: contactansalapi@gmail.com

Annexure-A

Gmail

Mahendra Kumar <mahendra.netra83@gmail.com>

Representation regarding the cancellation and illegality of the purported Extraordinary General Meeting (EGM) dated 23.11.2026 of Ansal Properties & Infrastructure Limited and seeking urgent directions to restrain the promoters from acting upon the same.

Mahendra Kumar <mahendra.netra83@gmail.com> Mon, Nov 23, 2026 at 10:24 PM
To: chairman@sebi.gov.in, sadanand.date@sebi.gov.in, cvo@sebi.gov.in, Rakesh Kumar <rakeshk@sebi.gov.in>, atanup@sebi.gov.in, kamlesh.varshney@sebi.gov.in, roc.delhi@mca.gov.in, compliancecustomersupport@nse.co.in, takeover@nse.co.in, is@bseindia.com, corp.relations@bseindia.com, corp.comm@bseindia.com
Cc: "pranav.98991@gmail.com" <pranav.98991@gmail.com>, Prateek Kumar <chaubeyprateek@gmail.com>, "scg.mcom@gmail.com" <scg.mcom@gmail.com>, "contactansalapi@gmail.com" <contactansalapi@gmail.com>, Sheetal A <sheetal.ansal@gmail.com>, Sushil Ansal <sushilansal1939@gmail.com>, "nkpoddar151@gmail.com" <nkpoddar151@gmail.com>, "parkashtradingco70@gmail.com" <parkashtradingco70@gmail.com>, garg-r1970@yahoo.co.in, "sachinkumarsharma04@gmail.com" <sachinkumarsharma04@gmail.com>

To,

1. The Chairman / Concerned Officer,
   Securities and Exchange Board of India (SEBI)

2. The Registrar of Companies (ROC),
   Ministry of Corporate Affairs

3. The Listing Compliance Department,
   National Stock Exchange of India Limited (NSE)

4. The Listing Compliance Department,
   BSE Limited (BSE)

Subject: Representation regarding the cancellation and illegality of the purported Extraordinary General Meeting (EGM) dated 23.11.2026 of Ansal Properties & Infrastructure Limited and seeking urgent directions to restrain the promoters from acting upon the same.

Respected Sir/Madam,

I am a public shareholder of Ansal Properties & Infrastructure Limited ("the Company"), a listed public company having approximately 35,000 public shareholders. I am constrained to submit this urgent representation to bring to your immediate notice glaring, patent, and brazen violations of the Companies Act, 2013, the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("SEBI LODR Regulations") in relation to the purported Extraordinary General Meeting ("EGM") scheduled on 23.11.2026 pursuant to the Notice dated 27.10.2026 issued by the Promoters.

The purported EGM could not be validly convened or held and stands cancelled by operation of law. Any attempt by the promoters or requisitionists to claim that resolutions were passed therein, or to take any consequential action thereon, is patently illegal, void ab initio, and non-est in law. The specific factual and statutory grounds warranting your urgent intervention are set out below:

1. Complete Lack of Statutory Quorum and Automatic Cancellation of the Meeting (Violation of Section 103 of the Companies Act, 2013)

Under Section 103(1)(a)(iii) of the Companies Act, 2013, in the case of a public company having more than 5,000 members as on the date of the meeting, a minimum of 30 members personally present is mandatory to constitute a valid quorum for any general meeting. Given that the Company has approximately 35,000 public shareholders, the statutory requirement of at least 30 members personally present is non-negotiable. At the scheduled EGM on 23.11.2026, hardly 20 persons were

present at the venue, falling well short of the mandatory quorum of 30 members. This fact is irrefutably established by the video recording of the venue/proceedings attached with this email.

Furthermore, under Section 103(2)(b) of the Companies Act, 2013, where a general meeting is called by requisitionists under Section 100 of the Act and the requisite quorum is not present within half an hour from the time appointed for holding the meeting, the meeting automatically stands cancelled. Unlike a Board-convened meeting, a requisitioned meeting lacking quorum cannot even be adjourned, much less proceeded with. Consequently, the purported EGM dated 23.11.2026 stood legally cancelled for want of quorum and no business could lawfully be transacted or acted upon.

2. **Failure to Provide Mandatory E-Voting Facility to Approximately 35,000 Public Shareholders**

The Company is a listed entity with a wide public shareholding base of approximately 35,000 public shareholders spread across the country. Despite this, no remote e-voting platform or electronic voting facility was made available to shareholders for the purported EGM. This constitutes a direct breach of the following mandatory provisions:

(a) Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20(2) of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014: Every company whose equity shares are listed on a recognised stock exchange, and every company having not less than 1,000 members, is statutorily mandated to provide its members the facility to exercise their right to vote on resolutions proposed at a general meeting by electronic means.

(b) Rule 20(4) of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014: Mandates strict compliance with pre-meeting and voting safeguards, including clear disclosure of the e-voting process in the notice, newspaper advertisements, a minimum three-day remote e-voting period, electronic/ballot voting at the venue for members who did not vote remotely, appointment of an independent Scrutinizer, and maintenance of tamper-proof voting registers. None of these statutory requirements were complied with.

(c) Regulation 44(1) and 44(2) of the SEBI LODR Regulations, 2015: Mandates every listed entity to provide remote e-voting facility to its shareholders in respect of all shareholders' resolutions in accordance with the conditions specified under the Companies (Management and Administration) Rules, 2014.

(d) Regulation 4(2)(a) and 4(2)(c) of the SEBI LODR Regulations, 2015: Casts an overarching statutory obligation on listed entities to protect and facilitate the exercise of shareholders' rights, ensure equitable treatment of all shareholders (including minority and public shareholders), and enable effective shareholder participation in key corporate governance decisions.

Holding an EGM of a listed company with 35,000 public shareholders without an e-voting platform amounts to wholesale disenfranchisement of public investors and renders the purported meeting completely illegal and void.

3. Patently Illegal Voting by Show of Hands by the Promoters

Compounding the illegality of proceeding without quorum and without e-voting, the promoters conducted voting on the proposed resolutions through a show of hands. This method of voting is expressly prohibited by law in the present case:

(a) Section 107(1) of the Companies Act, 2013 permits voting by show of hands only where a poll is not demanded under Section 109 and voting is not required to be carried out electronically. Once Section 108 and Rule 20 apply to a company, voting by show of hands is legally excluded.

(b) The Ministry of Corporate Affairs, vide General Circular No. 20/2014 dated 17.06.2014, has explicitly clarified that voting by show of hands is not allowable in cases where Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 is applicable.

(c) Under Rule 20(4) of the said Rules and Regulation 44 of the SEBI LODR Regulations, 2015, votes must be cast proportionately to shareholding through remote e-voting and electronic voting or ballot/polling paper at the venue, duly verified and reported by an independent Scrutinizer under Rule 20(4)(xii) and Regulation 44(3).

Attempting to push through critical corporate resolutions via a show of hands among fewer than 20 individuals is a brazen abuse of corporate law designed to subvert shareholder democracy.

4. Violation of Subsisting and Binding Judicial Orders of the Hon'ble NCDRC

There are subsisting and binding judicial orders passed by the Hon'ble National Consumer Disputes Redressal Commission (NCDRC) vide Orders dated 29.04.2026 and 04.11.2026 in EA No. 77 of 2021 titled as "Prem Prakash Rajpurohit & Ors. Versus M/s Ansal Hi Tech Townships Ltd. & Ors." expressly staying any change in the management and control of the Company. Any attempt by the promoters or requisitionists to convene an EGM and pass resolutions having the direct or indirect effect of altering the management, Board composition, or control of the Company flies directly in the face of binding judicial directions and amounts to wilful disobedience of court orders. Copies of the said Orders are attached alongwith this email.

In light of the serious statutory violations detailed above, and to protect the interests of approximately 35,000 public shareholders and preserve the sanctity of securities and corporate laws, I earnestly request your esteemed authorities to urgently intervene and:

a) Take this representation along with the enclosed video evidence on record and initiate an immediate inquiry into the illegal conduct of the purported EGM dated 23.11.2026;

b) Treat and declare the purported EGM dated 23.11.2026 as automatically cancelled under Section 103(2)(b) of the Companies Act, 2013, and declare all proceedings and alleged resolutions purportedly passed therein as illegal, void ab initio, and non-est;

c) Issue immediate interim directions restraining the promoters, requisitionists, and the Company from taking any action, step, or measure whatsoever in furtherance of the purported EGM dated 23.11.2026;

d) Direct the ROC not to take on record, approve, or give effect to any statutory filings (including Form MGT-14, Form DIR-12, or any related e-forms) arising out of the said invalid EGM, and direct NSE and BSE to reject or place under scrutiny any purported voting results or corporate disclosures under Regulation 30 or Regulation 44(3) of the SEBI LODR Regulations; and

e) Initiate appropriate regulatory, enforcement, and penal proceedings against the promoters and persons responsible for violating Sections 103, 107, and 108 of the Companies Act, 2013, Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, and Regulations 4 and 44 of the SEBI LODR Regulations, 2015.

I remain available to furnish any further information, documentation, or clarification required by your good offices.

Yours faithfully,

Mahendra Kumar
Individual Shareholder,
Ansal Properties & Infrastructure Limited
DP ID: 12081601
BO Client ID: 87604577
No. of Shares: 13500
Email: Mahendra.netra89@gmail.com

4 attachments

WhatsApp Video 2026-11-23 at 10.01.14 PM.mp4
4587K

WhatsApp Video 2026-11-23 at 10.08.32 PM.mp4
7675K

Order dated 04.11.2026.pdf
303K

order 29.04.2026.pdf
221K

ईंटों से की हलवाई की हत्या सिर-आंख पर किए कई वार

पानीपत में खेत में मिला 66 वर्षीय व्यक्ति का शव, प्राथमिकी दर्ज

संवाद न्यूज एजेंसी

इसराना (पानीपत)। बिजावा गांव निवासी बिजली निगम के सहायक लाइनमैन (एएलएम) के 66 वर्षीय हलवाई राजपाल सैनी की ईंट से हमला कर हत्या कर दी गई।



मृतक राजपाल।

सोमवार दोपहर उनका शव बुआना लाखू से बिजावा जाने वाली सड़क किनारे बरसीम के खेत में खून से लथपथ मिला। हमलावर ने उनके सिर और आंख पर ईंट से कई वार किए थे।

सूचना मिलने पर थाना पुलिस और फॉरेंसिक साइंस लैब (एफएसएल) की टीम ने मौके पर पहुंचकर साक्ष्य जुटाए। शव के नजदीक मिली पंक्चर डायरी से मृतक की पहचान हुई। वह करीब 25 वर्षों से शादी समारोहों में हलवाई का काम कर रहे थे।

साथ गए हेल्पर पर हत्या का शक, 15 हजार रुपये थे पास : परिजनों ने बताया कि उनकी किसी से रंजिश नहीं थी। हालांकि, उन्होंने गांव के ही दीपक पर हत्या का संदेह जताया है। दीपक शादी समारोह में राजपाल के साथ हेल्पर के तौर पर गया था। परिजनों के अनुसार रविवार रात घर लौटते समय दोनों खेतों के नजदीक बैठ गए थे। उस समय राजपाल के पास करीब 15 हजार रुपये नकद थे। आशंका जताई कि रुपयों के लेनदेन या किसी विवाद में वारदात को अंजाम दिया गया। पुलिस की शुरुआती जांच में शव पर चोट के करीब छह गंभीर निशान मिले हैं।

शादी में खाना बनाने गए थे, रातभर घर नहीं लौटे

बिजावा निवासी विजय कुमार ने बताया कि शुक्रवार को उसके पिता गोहाना के नियात गांव में एक शादी समारोह में खाना बनाने गए थे। रविवार रात करीब 9:36 बजे मां श्यामा देवी ने पिता राजपाल को फोन किया तो उन्होंने बताया कि काम पूरा हो चुका है और वह देर रात तक घर पहुंच जाएंगे। हालांकि, वह रातभर नहीं लौटे। सोमवार दोपहर करीब 12 बजे परिजनों को सूचना मिली कि राजपाल का शव बुआना लाखू के खेतों में पड़ा है।

इसराना थाना प्रभारी हरिराम ने बताया कि खेत में शव मिलने की सूचना पर पुलिस टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। राजपाल सैनी के बेटे विजय कुमार की शिकायत पर हत्या की धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। पुलिस संदिग्ध हेल्पर की तलाश कर रही है। मामले के सभी पहलुओं की गहनता से जांच की जा रही है।

लेनदेन के विवाद में दोस्तों पर लगाया हत्या का आरोप

पहचान छिपाने के लिए शव पर डाला था नमक

संवाद न्यूज एजेंसी

गुरुग्राम। सेक्टर-63 में खाली पड़ी जमीन पर बने टैंक से मिले युवक के शव की पहचान हो गई है। मृतक नईम खान यूपी के संभल के लहरा का मंगल गांव के रहने वाले थे और गुरुग्राम में मुंगफली बेचते थे। उनके भाई ने रुपये के लेनदेन के विवाद में नईम के दोस्त और तीन अन्य लोगों पर हत्या के आरोप लगाए हैं।

पुलिस की विभिन्न टीमें मामले की जांच कर रही हैं। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपियों ने मृतक के शव पर नमक डाल दिया था, ताकि शव जल्दी गल जाए।

मृतक के भाई हनीफ ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उनका भाई नईम छह नवंबर से लापता था। उस दिन वह अपने गांव चले गए थे। इसके बाद उसकी नईम से कोई मुलाकात नहीं हुई। काफी तलाश के बाद भी पता नहीं चला तो 11 नवंबर को गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने नईम के दोस्तों से भाई के बारे में पूछा तो उसने बताया था कि वह दिल्ली गया है।

सुनसान जगह से टैंक में मिला था शव, 12 दिन से लापता था मृतक

हनीफ ने बताया कि सेक्टर-50 में एक सफाईकर्मी को नईम का फोन मिला। उन्होंने पुलिस को इसकी जानकारी दी। पुलिस ने घर से निकलने और आगे के रास्ते में आने वाले सीसीटीवी फुटेज देखे। सेक्टर-63 स्थित एक मॉल के पास की सीसीटीवी कैमरों की फुटेज में सुनसान जगह पर चार लोग गड्ढा खोदते कैद हुए हैं। इसके बाद पुलिस हनीफ को उस जगह पर लेकर गई। लेकिन वहां पर पुलिस को कुछ नहीं मिला।

हालांकि पास में बने टैंक को लेकर शक गहराने के बाद पुलिस ने जब तलाशी ली तो उससे नईम का शव बरामद हुआ। साथ ही पास ही मिली पॉलीथीन से उसके कपड़े भी मिले। पुलिस प्रवक्ता संदीप ने बताया कि पुलिस की विभिन्न टीमें मामले की जांच कर रही है। जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

हरियाणा सरकार — निविदा सूचना

क्र. सं.	बोर्ड/ निगम/ प्राधि. का नाम	कार्य सूचना निविदा का नाम	आरंभिक तिथि/ अंतिम तिथि (समय)	राशि/ईएमडी (अनुमानित) रु. में	बोर्ड/निगम/प्राधि. की वेबसाईट	नोडल अधिकारी/ संपर्क जानकारी/ ईमेल
1	हरियाणा पर्यटन निगम लिमिटेड चंडीगढ़	40वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय आत्मनिर्भर क्राफ्ट मेला-2027 हेतु परिवहन अर्थात कारें, पब्लिक कैरियर, लाईट कॉमर्शियल वाहन गोल्फ कारर्स एवं टोईंग वाहनों के प्रावधान हेतु एजेंसी की हायरिंग।	23.11.2026 07.12.2026	Rs. 5.00 LACS	https://etenders.hry.nic.in	9896377700 haryanatourism@gmail.com
2	हरियाणा पर्यटन निगम लिमिटेड चंडीगढ़	40वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय आत्मनिर्भर क्राफ्ट मेला-2027 मेला ऐम्बियंस एवं फ्लावर अरेंजमेंट हेतु एजेंसी की हायरिंग।	23.11.2026 07.12.2026	Rs. 2.00 LACS	https://etenders.hry.nic.in & www.hphc.org.in	9417770849 haryanatourism@gmail.com

अग्रिम जानकारी हेतु कृपया वेबसाईट www.haryanaeprocurement.gov.in या www.etenders.hry.nic.in पर जाएं।

PRDH:-13/2027/60/51236/I/1/6 Dt.23/11/2026

लंपी : झज्जर के बादली दरियापुर में एक-एक संदिग्ध केस मिला

बादली(झज्जर)। बादली और दरियापुर में गाय में लंपी के एक-एक संदिग्ध केस मिलने के बाद पशुपालन विभाग सक्रिय हो गया है। विभाग की टीमों ने दोनों गांवों में पहुंचकर पशुओं की जांच की और पशुपालकों को सावधानी बरतने की सलाह दी। विभाग की ओर से जारी एडवाइजरी में पशुपालकों को खासतौर से गायों की देखभाल, साफ-सफाई और बीमार पशु को स्वस्थ पशुओं से अलग रखने के निर्देश दिए हैं। वैक्सीनेशन को लेकर भी जागरूक किया जा रहा है। पशुपालन विभाग के डॉ. संदीप ने बताया कि लंपी बीमारी पशुओं के लिए घातक साबित हो सकती है। इसमें पशु के शरीर पर गांठें पड़ जाती हैं, बुखार आता है, दूध कम हो जाता है और कई बार पशु की मौत भी हो जाती है। इसलिए पशुपालक मच्छर-मक्खियों से बचाव करें। पशु बाड़े में साफ-सफाई रखें, गंदा पानी जमा न होने दें और कोई भी लक्षण दिखते ही तुरंत पशु चिकित्सक को सूचित करें। संवाद

प्रजातंत्र में कोई भविष्यवाणी नहीं जनता चाहे तो पांच साल भी नहीं रहने दे सकती : राव नरबीर



कार्यालय में कैबिनेट मंत्री ने सुनीं भाजपा कार्यकर्ताओं की समस्याएं

झज्जर। कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह ने कहा कि प्रजातंत्र में कोई भविष्यवाणी नहीं होती। हर व्यक्ति का अपना आंकलन होता है और मनोहर लाल का भी अपना आंकलन होगा। लोकतंत्र में जनता ही जनार्दन है। जनता चाहे तो किसी सरकार को 30, 50 या 100 साल तक सत्ता में रख सकती है और चाहे तो पांच साल भी नहीं रहने दे सकती। हर पांच साल में चुनाव होते हैं और जनता अपने मत से सरकार का फैसला करती है। सोमवार को झज्जर कमलम कार्यालय में कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह ने अपने उक्त विचार रखे।

दक्षिण हरियाणा के विकास को लेकर राव नरबीर ने कहा कि वह भी दक्षिण हरियाणा के विधायक हैं। भाजपा सरकार के पिछले 12 वर्षों के दौरान दक्षिण हरियाणा में जितने विकास कार्य हुए हैं, उतने पहले कभी नहीं हुए। हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि संभव है कि कोई काम ऐसा हो जो लोगों के ध्यान में हो और अभी तक पूरा नहीं हुआ हो, ऐसे कामों को भी सरकार पूरा करवाने का प्रयास करेगी। संवाद

सैन्य सम्मान, शस्त्र सलामी के साथ शहीद को दी अंतिम विदाई

हिसार में टैंक के नीचे कुचलने से दो जवान हो गए थे बलिदान

संवाद न्यूज एजेंसी

शामली/बाबरी। हिसार कैंट में युद्धाभ्यास के दौरान बलिदान हुए लांस नायक मनीष कुमार को सोमवार सुबह उनके पैतृक गांव भाज्जू में सैन्य सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई।





बलिदानी अंकुश और मनीष कुमार।

जवान का पार्थिव शरीर गांव पहुंचते ही पूरा भाज्जू गांव गमगीन हो गया। इस दौरान प्रशासनिक अधिकारी और राजनीतिक नेता भी मौजूद रहे।

सुबह करीब नौ बजे सेना के फूलों से सजे वाहन से पार्थिव शरीर को हिसार, मेरठ कैंट से शामली लाया गया। करीब तीन किलोमीटर लंबी अंतिम यात्रा में लोगों का सैलाब उमड़ पड़ा। इस दौरान भारत माता की जय और मनीष अमर रहे के नारे गूंजते रहे। पत्नी बुलबुल बार-बार बेहोश हो रही थी और परिवार बिलख पड़ा।

पिता रामवीर भी अपने आंसू छिपाते नजर आए। चचेरे भाई सूरज ने पार्थिव शरीर को मुखाग्नि दी। इस भावुक पल में हर व्यक्ति की आंखें नम थीं। भाकियू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत, पूर्व मंत्री संजीव बालियान और पूर्व विधायक राव बारिस ने भी श्रद्धांजलि अर्पित की।

हादसा का विवरण : हरियाणा के हिसार के भोजराज गांव में सेना का नियमित युद्ध अभ्यास चल रहा था। इसमें करीब 32 टैंक एक साथ चल रहे थे। भारी टैंकों के चलने से धूल का घना गुबार उठा, जिससे सामने देखने की क्षमता कम हो गई।

इसी दौरान एक टैंक के ड्राइवर को आगे तैनात जवान दिखाई नहीं दिए। टैंक दोनों जवानों के ऊपर से गुजर गया, जिससे लांस नायक मनीष और बदायूं के अंकुश बलिदान हो गए। मनीष के पिता रामवीर सेना से सेवानिवृत्त हैं और दो बार हिंद केसरी का खिताब जीत चुके हैं। मनीष का साला प्रदीप पूनिया भी हिसार कैंट में नायक के पद पर तैनात है। वह पार्थिव शरीर लाने वाली टोली में शामिल था।

प्रदीप ने बिलखते हुए कहा कि मैंने अपने जीजा के साथ-साथ अपना एक दोस्त भी खो दिया। प्रदीप ने ही रामवीर को तिरंगा सौंपा।

मनीष का साला प्रदीप पूनिया भी हिसार कैंट में नायक के पद पर तैनात

पार्थिव शरीर लाने वाली जवानों की टोली में साला प्रदीप भी शामिल था

नरवाना में पुलिस टीम पर हमला

नरवाना। शहर की सैंसी बस्ती में गश्त के दौरान युवक को पूछताछ के लिए रोकने पर लोगों ने सीआईए की टीम के साथ मारपीट शुरू कर दी। आरोप है कि सीता ने सीआईए के सिपाही चिराग (29) पर चाकू से हमला कर दिया, जिससे उनके बाएं हाथ में चोट लग गई। वहीं, अन्य आरोपियों ने सिपाही को जमीन पर गिराकर लात-घूंसों से पीटा।

बीच-बचाव करने आए अन्य पुलिसकर्मियों के साथ भी धक्का-मुक्की की गई और जान से मारने की धमकी दी। डीएसपी नरवाना कमलदीप राणा ने बताया कि पुलिस ने सिपाही चिराग की शिकायत के आधार पर 7 नामजद आरोपियों और 2-3 अन्य के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सीआईए स्टाफ में तैनात सिपाही चिराग (29) ने शिकायत में बताया कि वह एएसआई रणधीर सिंह, हेड कांस्टेबल हरदीप, प्रदीप, होमगार्ड सुखविंद्र और चालक सिपाही जंगीर के साथ सैंसी बस्ती रेलवे फाटक के पास हिसार रोड पर गश्त कर रहे थे। संवाद

थाईलैंड की दो युवती ड्रग्स के साथ काबू

गुरुग्राम। सुशांत लोक थाना क्षेत्र में हरियाणा स्टेट नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एचएसएनसीबी) की टीम ने नशा तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए थाईलैंड की दो युवतियों को गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से 26.43 ग्राम एमडीएमए नशीला पदार्थ भी बरामद किया है। पुलिस प्रवक्ता संदीप ने बताया कि दोनों युवतियों के खिलाफ सुशांत लोक थाने में एनडीपीएस एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। युवतियों की पहचान चानलदाप कमास्कोल और चोमपुनत के रूप में हुई है। गुप्त सूचना मिली कि सुशांत लोक के सी-ब्लॉक में जैसमिन नाम की थाई युवती एमडीएमए बेच रही है। मौके पर दोनों नशीले पदार्थ से संबंधित लाइसेंस और परमिट पेश नहीं कर सकीं। संवाद

कार्यालय नगर निगम, भरतपुर

क्रमांक :– न.नि.भ. / विद्युत / 2026–27 / 17771 दिनांक :– 13.11.2026

ई–निविदा सूचना–

नगर निगम, भरतपुर द्वारा विद्युत सम्बन्धित कार्य कराये जाने हेतु उपयुक्त श्रेणी मे पंजीकृत संवेदको से निर्धारित प्रपत्र में ऑनलाईन निविदा समय सांय 6.00 बजे तक दिनांक 20.11.2026 से 02.12.2026 तक आमंत्रित की जाती है। निविदा की महत्वपूर्ण शर्तें एवं विवरण वेबसाईट http://sppp.rajasthan.gov.in एवं //eproc.rajasthan.gov.in/ पर देखा जा सकता है। कार्य की अनुमानित लागत 199.57 लाख रूप है।

UBN Number:-
DLB2627WSOB24820

आयुक्त
नगर निगम, भरतपुर

राज.संवाद / सी / 26 / 13564

निविदा
सार्वजनिक सूचना

खेल विभाग हरियाणा द्वारा वार हीरोज मैमोरियल स्टेडियम, अम्बाला छावनी में फुटबाल तथा तैराकी खेल की आवासीय खेल अकेडमी संचालित की जानी है। जिसमें दोनो खेल अकेडमियों के कुल 50 खिलाडियो को प्रतिदिन 500/- रूo (जी०एस०टी० सहित) की दर से पोषण तत्वों से भरपूर सुबह, दोपहर रात्रि भोजन, जूस, दूध व फल (डाईट) उपलब्ध करवाने के लिए मैस का ठेका दिनांक 01.12.2026 से 31.03.2028 तक के लिए दिया जाना है। मैस की साफ-सफाई व्यवस्था ठेकेदार द्वारा अपने स्तर पर की जानी है। भोजन शुद्ध व उच्च गुणवत्ता का हो। इच्छुक Self Help Group/NGO/Registed Firm मैस के लिए अपनी-अपनी निविदा नियम व शर्तें दिनांक 27.11.2026 प्रातः 10:00 बजे तक जिला खेल कार्यालय, अम्बाला से प्राप्त करके (मैन्यू सहित) दिनांक 27.11.2026 को दोपहर 12:00 बजे तक जिला खेल कार्यालय, अम्बाला में बन्द लिफाफे में जमा करवाये। प्राप्त निविदाए दिनांक 27.11.2026 को दोपहर 02:00 बजे खोली जाएगी। निविदाकर्ता को 2.00 लाख की सिक्योरिटी डिमांड ड्राफ्ट / चैक द्वारा जमा करवानी होगी।

रामस्वरूप शर्मा,
जिला खेल अधिकारी
अम्बाला।

PRDH:- 1107/11/62/2027/51234/1/6 Dt. 23/11/2026

कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता जन स्वा. अभि. विभाग वृत-दौसा

Address : khan bhakri Road Dausa, Email ID-se.dau.phed@rajasthan.gov.in
S.No. SE Dausa /DIPR/NIT-19-20/2026-27/5842-52 Date: 17/11/2026

निविदा संख्या 19 से 20/2026–27 संशोधन आदेश

इस कार्यालय के पत्रांक 5434-40 दिनांक 14.10.2026 के द्वारा निविदा संख्या 19-20/2026-27 आमंत्रित की गई थी जिसमे इस कार्यालय के पत्रांक 5754-61 दिनांक 05.11.2026 के द्वारा संशोधन न. 1 किया गया था, उक्त संशोधन का प्रकाशन नही होने के कारण निविदा संख्या 19 से 20/2026-27 की पूर्व मे निर्धारित तिथियों मे निम्न विवरण अनुसार संशोधन किया जाता है।

क्र. सं.	निविदा संख्या	पूर्व में निर्धारित तिथि		संशोधित तिथि	
		निविदा अपलोड की अन्तिम तिथि	तकनिकी बिड खोलने की तिथि	निविदा अपलोड की संशोधित अन्तिम तिथि	तकनिकी बिड खोलने की संशोधित तिथि
1.	19-20/2026-27	23.11.2026 सांय 6.00 बजे तक	25.11.2026 3.00 पी.एम	30.11.2026 सांय 6.00 बजे तक	01.12.2026 3.00 पी.एम

निविदा की अन्य शर्तें निविदा प्रपत्र व पूर्व मे जारी संशोधन के अनुसार होगी।

NIB Code PHE2627A3164
UBN PHE2627WSOB06650
UBN PHE2627WSOB06651

अधीक्षण अभियन्ता
जन स्वा. अभि. विभाग, वृत दौसा

DIPR/C/18533/2026

जामिया मिल्लिया इस्लामिया
(संसद अधिनियम द्वारा एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय)
(नैक द्वारा मान्यताप्राप्त ग्रेड 'ए++')
मौलाना मोहम्मद अली जौहार मार्ग,
नई दिल्ली–110025

विज्ञा.सं. 01/2026–27 (एनटी) दिनांक 10.11.2026

एतद्द्वारा जे.एम.आई. में गैर-अध्यापन पदों को भरने के लिए भारतीय नागरिकों से (ओसीआई कार्डधारकों सहित) ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। विस्तृत विज्ञापन यूनिवर्सिटी की वेबसाईट अर्थात https://jmi.ac.in पर उपलब्ध है। आवेदन प्रपत्र जमा करवाने की अन्तिम तिथि 11.12.2026 है।

(प्रो. मो. मेहताब आलम रिजवी)
रजिस्ट्रार

दिनांक: 10.11.2026
cbc21246/11/0005/2627

कार्यालय नगर निगम जयपुर
(पण्डित दीनदयाल उपाध्याय भवन, लाल कोठी, टोंक रोड, जयपुर–15)

क्रमांक :– जजअ / 2026 / 313 दिनांक: 19.11.2026

–: : ई–निविदा सूचना संख्या 21/2026–27 : : –

नगर निगम जयपुर की ओर से विद्युत कार्य हेतु नगर निगम जयपुर में व अन्य विभागों में नये नियमों के अनुसार श्रेणीवार EWSD श्रेणी में पंजीकृत संवेदकों से निर्धारित प्रपत्र में ई–टेन्डरिंग प्रक्रिया में ऑन लाईन निविदा आमंत्रित की जाती है।

निविदा से सम्बन्धित समस्त विवरण वेब साईट http://eproc.rajasthan.gov.in & http://sppp.rajasthan.gov.in पर जिन्म UBN No.JMC2627WSOB00802 पर देखा जा सकता है। इच्छुक संवेदकों को ई–निविदा मे भाग लेने हेतु वेबसाईट http://eproc.rajasthan.gov.in पर रजिस्टर्ड करवाना आवश्यक है।

अधिशाषी अभियन्ता (विद्युत)
नगर निगम जयपुर–पार्ट प्रथम

राज.संवाद / सी / 26 / 13588

कार्यालय, पुलिस अधीक्षक, (हिसार)

अभियोग सं. 313 दिनांक: 08.09.2026 थाना अर्बन एस्टेट हिसार



नाम: देवी पत्नी मनु
पता: गांव सातरोड खुर्द, जिला हिसार।
पहचान: उम्र लगभग 50 साल कद 5 फुट 5 इंच, रंग गेंहुआ, हरे रंग का सलवार सूट पहने हुए व दाएं आंख में फफोला है।

यदि किसी सज्जन को इनके बारे में पता चले तो कृपया निम्न फोन नंबर पर सूचित करें:

प्रबंधक थाना
थाना बरवाला हिसार 8814011301
पुलिस कंट्रोल हिसार: 01662–237150, 8814012342
अनुसंधानकर्ता– 8168883230

PRDH:- 1084/11/5619/2027/51208/1/6 Dated-23/11/2026

Ansal API Promoters' Proposed EGM Collapses Amid Quorum Shortfall and Alleged Statutory Violations

Requisitioned meeting scheduled at 1:00 p.m. at New Delhi's Roseate House fails to muster the mandatory 30-member quorum under Section 103; public shareholders push back over absence of mandatory e-voting facility

NEW DELHI, November 23, 2026: An Extraordinary General Meeting (EGM) proposed by the promoters of Ansal API collapsed here on Monday without transacting any business, after the gathering failed to meet the statutory quorum and drew fierce resistance from public shareholders over glaring procedural violations.

The meeting, convened at The Roseate House Hotel in Aerocity, New Delhi, pursuant to an EGM notice issued by promoters Pranav Ansal, Sushil Ansal, and other members of the promoter group, could not be validly constituted due to the lack of the minimum quorum of 30 members personally present, as mandated under Section 103 of the Companies Act, 2013. Consequently, the proceedings stood invalid and no resolutions or outcomes could be carried.

Statutory Quorum Shortfall

Under Section 103 of the Companies Act, 2013, a public company with more than 5,000 shareholders requires at least 30 members to be personally present to form a valid quorum.

For meetings requisitioned by shareholders, the law stipulates that a failure to achieve the requisite quorum within the prescribed window renders the meeting cancelled rather than adjourned. Where Ansal API (Ansal Properties & Infrastructure Ltd.) has over 35000 shareholders in total, the compliance to the above section was mandatory and could not be overlooked.

At Monday's venue in Aerocity, the promoter-convened gathering fell short of this statutory threshold, stripping the proceedings of legal validity before any agenda item could be put to a lawful vote.

Missing E-Voting Platform Sparks Outrage

Beyond the failure to secure a quorum, the EGM notice itself came under sharp attack for omitting an electronic voting mechanism.

Despite the statutory requirement under Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, which mandates that listed entities and companies with 1,000 or more shareholders provide shareholders with a remote e-voting platform to exercise their voting rights, however, Pranav Ansal, Sushil Ansal, and the other requisitioning promoters failed to make any e-voting facility available.

Legal observers and minority investors pointed out that denying remote e-voting effectively disenfranchises dispersed retail and public shareholders across the country, rendering the entire exercise non-compliant with Indian corporate governance norms from inception.

Public Shareholders Push Back

According to attendees at the venue, public shareholders present at the hotel had to fight tooth and nail to challenge the proceedings and halt the meeting in the face of what they termed patent illegalities. Vocal objections were raised both against the absence of mandatory electronic voting and the lack of a legally valid quorum, forcing the attempted proceedings to a standstill.

With neither the statutory attendance requirement under Section 103 nor the mandatory e-voting compliance under Rule 20 satisfied, the proposed EGM concluded as a non-starter, leaving the promoters' agenda unacted upon and yielding no valid corporate outcome.

A MEDIA SOLUTION INITIATIVE

GOVERNMENT OF MEGHALAYA
EDUCATION DEPARTMENT

No. EDN.124/2026/41 Dated Shillong, the 3rd November, 2026

CONTINUATION NOTICE

Subject: Extension of last date for submission of student details for the conduct of examinations for CMJ University, Meghalaya

In continuation of the Public Notice issued by the Education Department vide **No. EDN. 124/2026/29, dated 30th September, 2026**, it is hereby notified for general information of all presently enrolled Diploma, Undergraduate and Postgraduate students of CMJ University that the last date for submitting personal and academic details via the designated Google Form has been extended.

The online form link:
https://forms.gle/3aMvMVWX2DxnNSzv5
will now remain active to accept responses until **1st December, 2026.**

All eligible students who have not yet registered are strongly advised to complete the submission within this extended window. Failure to do so will hinder the examination process, as these details are mandatory for arranging examinations under external agencies/ third-party institutions supervised by the State Education Department.

MIPR No.: 1989
Dated: 03-11-2026

Sd/-
Administrator, CMJ University, Meghalaya & Joint Secretary to the Govt. of Meghalaya
Education Department

कार्यालय वसूली अधिकारी-I/II

ऋण वसूली अधिकरण, चंडीगढ़ (डीआरटी 2)
प्रथम तल, एससीओ 33-34-35, सेक्टर 17-ए, चंडीगढ़-160017
(अतिरिक्त स्थान 3रे व 4थे तल पर भी आवंटित किया गया है)

ऋण वसूली एवं बैंकरप्सी अधिनियम, 1993 के साथ पठित आयकर अधिनियम, 1961 की दूसरी अनुसूची के नियम 53 के अंतर्गत बिक्री उद्घोषणा को सेटल करने हेतु सूचना।

आरसी/103/2023 इंएक्सएप्ल न. 1063
दिनांक : 03.11.2026

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
बनाम
मैसर्स केएस फैशन एवं अन्य

(सीडी 1) मैसर्स केएस फैशन एवं अन्य जिसका अपना पंजीकृत कार्यालय शॉप नं. 9, भूतल बीएमजी माल रेवाड़ी हरियाणा-123401 पर है पैन नं. AQSPK1615M है।

(सीडी 2) श्री तृप कुमार सुपुत्र स्व. केवल राम मकान नं. 653/बी अजय नगर रेवाड़ी।

(सीडी 3) श्रीमती नीतू पत्नी तृप कुमार निवासी मकान नं. 653/बी अजय नगर रेवाड़ी।

(सीडी 4) श्रीमती संतरा देवी पत्नी श्री स्व. केवल राम मकान नं. 653/बी अजय नगर

चूंकि आप **मैसर्स केएस फैशन एवं अन्य** को माननीय पीठासन अधिकारी, ऋण वसूली अधिकरण, चंडीगढ़ (डीआरटी 2) द्वारा आदेश दिया गया था, जिन्होंने आवेदक बैंक/वित्तीय संस्थान आवेदक का नाम को **21,65,139/- रु. (इक्कीस लाख पैंसठ हजार एक सौ उनतालिस रुपये मात्र)** लंबित एवं भावी ब्याज @ 9 % ब्याज 15.09.2021 से **वसूली तक और 24,005/- रु. (चौबीस हजार पांच रुपये केवल)** की लागत के साथ राशि की अदा करने हेतु ओए/1692/2021 में वसूली प्रमाणपत्र दिनांक 10.02.2023 को जारी किया गया था और जहां उक्त राशि को अदा नहीं किया गया है, अधोहस्ताक्षरी ने निम्न उल्लेखित चल/अचल संपत्ति की बिक्री का आदेश दिया है।

2. आपको एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि **27.11.2026 को पूर्वा. 10:30** बजे को बिक्री की उद्घोषणा के प्रारूप को तैयार करने और इसकी शर्तों को स्थापित करने के लिए निर्धारित किया गया है। आपको उक्त संपत्तियों या इसके किसी भी भाग से संलग्न किसी भी ऋणभार, प्रभार व दावे या देनदारियों के संबंध में अधोहस्ताक्षरी के ध्यान में लाने के लिए अनुरोध किया जाता है।

संपत्ति का विनिर्देशन

संपत्ति/यूनिट नं. 653/बी अजय नगर तहसील रेवाड़ी पर स्थित रिहायशी मकान माप 205 वर्ग मीटर।

मेरे हस्ताक्षर और इस अधिकरण की मोहर के तहत दिनांक : 03.11.2026 को दिया गया

वसूली अधिकारी
ऋण वसूली न्यायाधिकरण चंडीगढ़ डीआरटी-2

थाना भूपानी जिला फरीदाबाद

FROM-SHO POLICE STATION BHUPANI FARIDABAD.
TO ALL SHO,S I/C PP,S CIA UNIT,s.

श्रीमान जी.



निवेदन है कि मुदई राजवीर सिंह पुत्र कन्ही लाल निवासी पथवारी कलोनी गांव बदरपुर रौद फरीदाबाद ने हाजिर थाना आकर बतलाया कि मुदई का लड़का आशीष वा उम्र 13 साल दिनांक 09.11.2026 सुबह करीब 11.00 बजे घर से कहीं चले जाने बारे पेश की है, जिसकी काफी तलाश करने पर कोई सुराग नहीं चला जो लड़का आशीष का हुलिया शरीर पर डार्क कलर सर्ट व ब्लैक लोवर पहने पैरों में चप्पल है रेन्जर साईकिल है।

हुलिया :– रंग गेहुंआ चेहरा गोल, शरीर हस्ट पुष्ट दाहिनी आंख निशान है। लम्बाई 4 फुट 8 इन्च है अगर किसी थाना व चौकी के इलाका में इस तरह के हुलिया का कोई लड़का मिलता है तो SHO थाना भूपानी जिला फरीदाबाद को सूचित करें।

SD/-
प्रबंधक अफसर
थाना भूपानी फरीदाबाद
दिनांक 10.11.2026

PRDH:- 1084/11/5618/2027/51207/1/6 Dated-23/11/2026

हरियाणा लोक सेवा आयोग,
बेज़ नंबर 1-10, ब्लॉक-बी, सेक्टर-4, पंचकूला

घोषणा

हरियाणा के बाहर की उन सभी महिला उम्मीदवारों को सूचित किया जाता है, जिन्होंने फूड्स एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन विभाग, हरियाणा में 'खाद्य सुरक्षा अधिकारी (ग्रुप-बी)' के पदों के लिए 19.09.2026 को प्रकाशित विज्ञापन संख्या 25/2026 के तहत आवेदन किया था, कि विज्ञापन के कलॉज 4 के अनुसार, उन्हें 1,000 रुपये का आवेदन शुल्क जमा करना था; हालाँकि, कुछ महिला उम्मीदवारों (संलग्न सूची के अनुसार) ने निर्धारित 1,000 रुपये के शुल्क के बजाय केवल 250 रुपये का शुल्क जमा किया है। इसलिए, ऐसी सभी महिला आवेदकों को निर्देश दिया जाता है कि वे शेष शुल्क, यानी 750 रुपये का भुगतान करें। ऐसा न करने पर, विज्ञापन के क्लॉज 4 नोट 2 के अनुसार उनका आवेदन पत्र रद्द कर दिया जाएगा।

इसके लिए, ऑनलाइन पोर्टल 25.11.2026 से 01.12.2026 (शाम 5:00 बजे तक) फिर से खोला जाएगा, ताकि केवल ये महिला उम्मीदवार ही 750 रुपये का शेष आवेदन शुल्क जमा कर सकें। आवेदन पत्र में पहले से भरी गई जानकारी में किसी भी तरह का बदलाव या अपडेट करने की अनुमति नहीं होगी।

सफल भुगतान के बाद, इन महिला उम्मीदवारों को आवेदन फॉर्म डाउनलोड करना होगा, जिसमें अपडेट की गई फीस/भुगतान का विवरण दिखाई दे रहा हो। इसके बाद, महिला उम्मीदवारों को अपडेट की गई फीस/भुगतान विवरण वाले आवेदन फॉर्म पर हस्ताक्षर करना होगा और आवेदन प्रक्रिया पूरी करने के लिए इसकी हस्ताक्षरित प्रति को ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करना होगा।

महत्वपूर्ण नोट:–

1. यह पोर्टल केवल हरियाणा के बाहर की उन महिला उम्मीदवारों (संलग्न सूची के अनुसार) के लिए फिर से खोला जा रहा है, जिन्होंने निर्धारित फीस से कम भुगतान किया था।
2. इस संबंध में, इन सभी महिला उम्मीदवारों (संलग्न सूची के अनुसार) को उनके पंजीकृत मोबाइल नंबरों पर अलग से संदेश भी भेजे जा रहे हैं।

दिनांक : 20.11.2026

उप सचिव,
हरियाणा लोक सेवा आयोग, पंचकूला

PRDH:- 1156/11/5/2027/51211/1/6 Dt. 23/11/2026